

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : F.3(17)UDH/II/2021/पार्ट-3

जयपुर, दिनांक :

:: आज्ञा ::

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.10.2025 में समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नगर नियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद से **मुख्य नगर नियोजक** (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या L-24) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	संवर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति तिथि	चयन की प्रकृति
1.	श्री रविराय वर्मा	अजा	2025-26	01.04.2025	योग्यता
2.	श्री शशिकान्त	अजजा	2025-26	01.05.2025	योग्यता
3.	श्री महेन्द्र चौधरी	-	2025-26	01.06.2025	योग्यता
4.	श्री मृणाल जोशी	-	2025-26	25.07.2025	योग्यता
5.	श्रीमती प्रीति गुसा	-	2025-26	01.10.2025	योग्यता

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित उक्त अधिकारियों के पृथक से पदस्थापन आदेश जारी होने तक अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

यह आदेश उक्त अधिकारियों के वास्तविक पदस्थापन आदेश जारी होने तक पदों को उक्तानुसार अस्थाई रूप से क्रमोन्नत मानने के संबंध में वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या आई०डी० सं०-172502876, दिनांक 18.11.2025 से प्राप्त सशर्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)

शासन उप सचिव-III

1/2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-



1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. मुख्य नगर नियोजक / मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर
5. संबंधित अधिकारी
6. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव-III

2/2